

# गरीब समाज स्वराज पार्टी

**चन्द्र सैन (भारती)**

सस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष  
मो0 . 9568743404, 9760214290

निवास एवं कार्यालय

शाहपुर (तिगरी) डा0 व थाना मझोला  
जनपद-मुरादाबाद-244001 (उप्र0) भारत

पत्राक 36/2023

गरीब वही जिसपर शिक्षा, सामान, मकान नहीं।

दिनांक 9-11-2023

सेवा में,

Sh. Binod Kumar Secretary,  
Election Expenditure Division,  
Room No. 321A, Third Floor,  
Nirvachan Sadan, Ashoka Road,  
New Delhi - 11 0001-


विषय - 3 नवम्बर 2023 को जारी पत्रांक संख्या  
796/लीईओ - 8-15/2-2018 के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको सादर अवगत कराया जाता है कि गरीब  
समाज स्वराज पार्टी को दिनांक 30-09-2023 तक किसी  
भी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा कोई भी Electoral Bonds के  
रूप में अंशदान नहीं दिया गया है।

संलग्न

मात्र सम्बन्धित पत्रांक को पुराने स्टैट कोपी



स्पीड पोस्ट द्वारा

**कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश**

चतुर्थ तल विकास भवन जनपथ मार्केट, लखनऊ-226001

संख्या 796/सीईओ-8-15/2-2018

दिनांक 03 नवम्बर, 2023

सेवा में

अध्यक्ष/महासचिव/कोषाध्यक्ष  
समस्त रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल  
उत्तर प्रदेश।

**विषय - Submission of details in respect of electoral bonds- Hon'ble Supreme Court Order dated 2<sup>nd</sup> November, 2023-Regarding**

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-76/Transparency/2017/PPEMS/VOL II दिनांक 03 नवम्बर, 2023 के साथ सलग्न समसंख्यक पत्र दिनांक 03 नवम्बर 2023 जो समस्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/महासचिव/कोषाध्यक्ष को सम्बोधित है का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2- भारत निर्वाचन आयोग ने **Association for Democratic Reforms Vs Union of India** (writ petition civil no 333 of 2015 with 880 of 2017, 59 of 2018 and 434 of 2018) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02 11 2023 के क्रम में समस्त राजनैतिक दलों को Electoral Bonds के माध्यम से दिनांक 30 09 2023 तक प्राप्त किये गये अशदान से संबंधित विवरण आयोग के पत्र में दिये गये पते **"Sh Binod Kumar, (by name) Secretary, Election Expenditure Division, Room No 321A, Third Floor, Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001"** पर डबल सीलबन्द लिफाफे पर **"Confidential-Electoral Bond"** अंकित करते हुए दिनांक 15 11 2023 की साय 5-00 बजे तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं।

कृपया आयोग के पत्र में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप वॉछित सूचना दिनांक 15 11 2023 की साय 5-00 बजे तक अनिवार्य रूप से आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सलग्नक यथोक्त

भवदीय

(मनीष शुक्ल)

सयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

संख्या- (1)/सीईओओ-8, तददिनांक

प्रतिलिपि सचिव भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड नई दिल्ली को उनके पत्र दिनांक 03 11 2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(मनीष शुक्ल)

सयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।